Annual Subscription Rs. 100/-

ओ३म्

12th May 2013

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

पाकिस्तान की नापाक साज़िश का परिणाम

शहीद सरबजीत

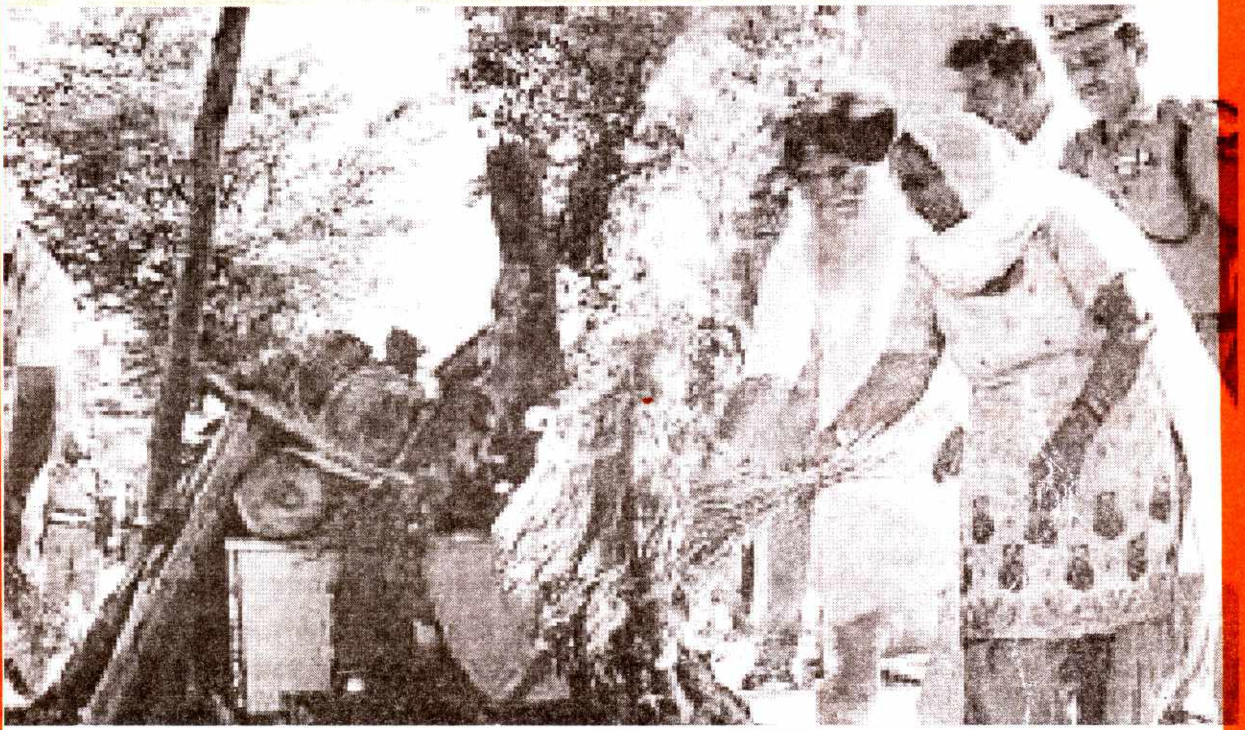

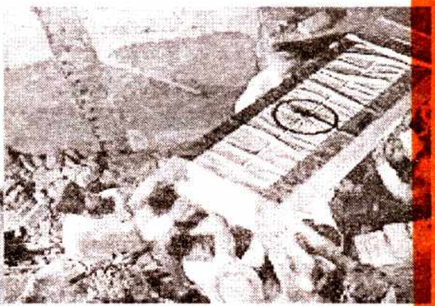

ओ३म्

आर्य जीवन

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

ఆర్య జీవన్

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद का मुख पत्र

वर्ष : २२ अंक : ०९

दयानन्दाब्द : १८९

सृष्टि संवत् : १९७२९४९११३

वि.सं. : २०६९

नंदन नाम संवत् **बैसाख शुक्ल पक्ष**

१२-५-२०१३

सम्पादक

विठ्ठलराव आर्य

वार्षिक मूल्य रू. 100

कार्यालय

आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश

महर्षि दयानन्द मार्ग, सुल्तान बाजार, हैदराबाद

दूरभाषः 040-24753827, 66758707, 24750363

फ्याक्सः 040-24557946, 24756983

Email :

aaryajeevan_aaryajivan@yahoo.co.in.
arpratinidhisabha@yahoo.co.in.
acharyavithal@gmail.com,
aryavithal@yahoo.co.in.

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR

***Editor*:** Vithal Rao Arya

Annual subscription: **Rs.100/-**

प्रत्येक मनुष्य को पुरूषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसी के द्वारा क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध कर्म की स्थिति सुधरती है। इसी से मनुष्य उत्तम स्थिति को प्राप्त हो कर उन्नति के पात्र बनते है।

याद रहेगी सरबजीत की शहीदी

पाकिस्तान के कोटलखपत जेल में अन्य कैदियों द्वारा किये गए जानलेवा हमले के बाद आखिरकार भारतीय कैदी सरबजीत सिंह शहीद हो गये। उनकी यह शहीदी कई अहम मुद्दों को लेकर आम लोगों को झकझोर गई है।

पंजाब के भिखीविंड निवासी एक गरीब किसान रहे सरबजीत सिंह को पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय सेना के लिए जासूसी करने और लाहौर तथा फैसलाबाद में १९९० में हुए सिरीयल बम धमाकों में हाथ होने के आरोप में ३० अगस्त १९९० को गिरफ्तार किया था।

इन आरोपों के तहत मामलों की सुनवाई के बाद पाकिस्तान की अदालत ने उसे फाँसी की सज़ा सुनाई थी। उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के ठोस सबूत नहीं होने और गलत पहचान के तहत उसे पकड़े जाने की बात के आधार पर उसके एडवोकेट ने पाँच बार दया याचिका पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास भेजी थी। हालाँकि हर बार उसे खारिज किया गया। पाकिस्तान की जेल में करीब २२ वर्ष बिताने के बाद पिछले २६ अप्रैल को कुछ कैदियों ने जेल में ही उसके सिर पर जानलेवा हमला किया था। करीब छह दिन तक जिन्ना अस्पताल में उपचार के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया।

इस मामले में भारत सरकार पर भी मूकदर्शक बने रहने के आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह है कि सरबजीत की तरह पाकिस्तान की जेलों में बंद अन्य कैदियों को भी क्या इसी हाल पर छोड़ दिया जाए? क्या भारत सरकार गलत पहचान या झूठे आरोपों में फँसाए जाने वाले भारतीय कैदियों को रिहा करवाने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाएगी?

सरबजीत की मौत के बाद उसकी बहन दलबीर कौर ने मानवाधिकार आयोग और उसके प्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि सरबजीत को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि ने उसे दो करोड़ की मोटी रकम माँगी थी और रकम मिलने के बाद १२ घंटों में ही सरबजीत को रिहा करवाने का वादा भी किया था। क्या ऐसी स्थिति में हर गरीब परिवार के भारतीय कैदी को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर होना ही पड़ेगा?

यह भी विचारणीय है कि पाकिस्तान की ओर से सरबजीत के शब का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शरीर से दिल के साथ कुछ अहम अंग भी निकाल लिये थे। उसका शव भारत लाया जाने के बाद भारतीय चिकित्सकों की ओर से किए गए पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ है। यह भी बताया गया है कि सरबजीत के शरीर पर प्रताड़णा के अन्य भी कई गंभीर घाव पाए गए। इससे साफ होता है कि भारतीय कैदियों के लिए पाकिस्तान की सुरक्षित से सुरक्षित मानी जानेवाली जेलों में भी भारतीय कैदी महफूज़ नहीं है। सरबजीत सिंह से पहले चमेल सिंह की हुई मौत ने भी इस बात की पुष्टी कर दी थी।

सरबजीत सिंह की तरह भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार सुरजीत सिंह करीब ३० तक सज़ा काटने के बाद कुछ महीने पहले ही रिहा किये गए। हालाँकि अपनी सरज़मीं पर कदम रखने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सुरजीत सिंह ने अपने आपको भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट बताते हुए भारत सरकार पर उनकी सुध नहीं लेने का आरोप लगाया था। ऐसे में सरबजीत सिंह की मौत ने सभी झकझोरकर इस सच्चाई के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसकी यह कुर्बानी हमेशा के लिए हर किसी के ज़हन में रहकर उसकी तरह गिरफ्तार अन्य भारतीय कैदियों को समय पर कारगर कदम उठाकर रिहा करवाने की प्रेरणा देती रहेगी।

मांसाहार के लिए पशु-पक्षियों की निर्मम हत्या के विरुद्ध महर्षि दयानंद की मार्मिक अपील

वे धर्मात्मा विद्वान लोग धन्य हैं, जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अभिप्राय, सृष्टि, क्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण और आप्तों के आचार, से अविरुद्ध चल के सब संसार को सुख पहुँचाते हैं और शोक है उन पर, जो कि इनसे विरुद्ध स्वार्थी दयाहीन होकर जगत् में हानि करने के लिए वर्तमान हैं। पूजनीय जन वे हैं, जो अपनी हानि होती हो, तो भी सबके हित के करने में अपना तन, मन, धन लगाते हैं और तिरस्करणीय वे हैं, जो अपने ही लाभ में संतुष्ट रहकर सबके सुखों का नाश करते हैं।

ऐसा सृष्टि में कोन मनुष्य होगा, जो सुख और दुःख को स्वयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है, कि जिसके गले को काटे वा रक्षा करें, वह दुःख और सुख का अनुभव ना करें ? जब सबको लाभ और सुख ही में प्रसन्नता है, तो बिना अपराध के किसी प्राणी का प्राण वियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कर्म क्यों न होवे? सर्व शक्तिमान जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया और न्यायमुक्त होकर सर्वदा सर्वोपकारक काम करें। और स्वार्थपन से पक्षपात युक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करें कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों और खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनंद में रहें।

इस ग्रंथ में जो कुछ अधिक न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो, उसको बुद्धिमान लोग इस ग्रंथ के तात्पर्य के अनुकूल कर लेवें। धार्मिक विद्वानों की यही योग्यता है कि वक्ता के वचन और ग्रंथकर्ता के अभिप्राय के अनुसार ही समझ लेते हैं। यह ग्रंथ इसी अभिप्राय से रचा गया है कि जिससे गो आदि पशु, जहाँ तक सामर्थ्य हो, बचाये जावें और उनके बचने से दूध, घी और खेती के बढ़ने से सबको सुख भढ़ता रहे। परमात्मा कृपा करे, कि यह अभिष्ट सिद्ध हो।

इस ग्रंथ में तीन प्रकरण हैं - एक समीक्षा, दूसरा नियम और तीसरा उपनियम। इनको ध्यान दें कि पक्षपात छोड़ विचार के राजा और प्रजा यथावत उपयोग में लावें, कि जिससे दोनों के लिए सुख बढ़ता ही रहे।

सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो-जो पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक प्रयोजन के लिए रची है। इसलिए उनसे भी वे प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय है। देखिये, जिस लिए यह नेत्र बनाया है, इससे वही कार्य लेना सबको उचित होता है, न कि उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीच में ही वह नष्ट कर दिया जावे. क्या जिन-जिन प्रयोजनों के लिए परमात्मा ने जो-जो पदार्थ बनाये हैं, उन-उन से वे-वे प्रयोजन न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार में बुरा कर्म नहीं है। पक्षपात छोड़कर देखिए, गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मों से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं? जैसे दो और दो चार, वैसे ही सत्य और से जो-जो विषय जाने जाते हैं, वे अन्यथा कभी नहीं हो सकते।

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, और दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध होने में कोई शंका नहीं है। इस हिसाब से एक मास में सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम से कम ६ महीने और दूसरी अधिक से अधिक १८ महीने तक दूध देती है, तो दोनों का मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैं। इस हिसाब से १२ महीनों का दूध निन्यानवे मन होता है। इतने दूध को औटाकर प्रति सेर में एक छटाक चावल और डेढ़ छटाक चीनी डालकर खीर बनाकर खावें, तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर पर्याप्त होती है। क्योंकि यह भी एक मध्यभाग की गिनती है। अर्थात् कोई दो सेर दूध की खीर से अधिक खा गया, और कोई न्यून। इस हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से १९८० (एक हज़ार नौ सो अस्सी) मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। गाय न्यून से न्यून ८ और अधिक से अधिक १८ बार ब्याती है। इसका मध्यभाग तेरह बार आया। तो २५७४९ मनुष्य एक गाय के जन्मभर के दूध मात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं।

इस गाय की एक पीढ़ी में छः बछिया और सात बछड़े हुए। इनमें से एक ही मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है, तो भी बारह रहे। उन छः बछियाओं के दूध मात्र से उक्त प्रकार १५४४४० मनुष्यों का पालन हो सकता है। अब रहे छः बैल, उनमें एक जोड़ी से दोनों साख में २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है और उनके कार्य का मध्यभाग आठ वर्ष है। इस हिसाब से ४८०० मन अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में गिनें, तो २५, ६००० मनुष्यों का एक बार भोजन होता है। दूध और अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय है कि ४१०४४० मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। अब छः गाय की पीढ़ी परपीढ़ीयों का हिसाब लगाकर देखा जाये, तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है। इसके मांस से अनुमान है कि केवल ८० मांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो । तुच्छ लाभ के लिए लाखों प्राणियों को मारकर असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों नहीं?

यद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध

अधिक और बैलों से भैंसा कुछ न्यून लाभ पहुँचाता है, तथापि जितना गाय के दूध और बैलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है, उतना भैंसों के दूध और भैंसों से नहीं। क्योंकि जितना आरोग्यकारक और बुद्धिवर्धक आदि गुण गाय के दूध और बैलों में होते हैं, उतने भैसों के दूध और भैंसे आदि में नहीं हो सकते। इसलिए आर्यो ने गाय सर्वोत्तम मानी है। और ऊँटनी का दूध गा. और भैंस के दूध से भी अधिक होता है। तो भी इनका दूध गाय और भैंस के सदृश्य नहीं। उँट और ऊँटनी के गुण भार उठाकर शीघ्र पहुँचाने के लिए प्रशंसनीय है।

अब एक बकरी कम से कम एक और अधिक से अधिक पाँच से दूध देती है। इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है। और न्यून से न्यून तीन महीने और अधिक से अधिक पाँच महीने तक दूध देती है, तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महीने हुए। वह एक मास में दो सवा दो मन और चार मास में ९ मन होता है। पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध में १८० मनुष्यों की तृप्ति होती है और एक बकरी एक वर्ष में दो बार ब्याती है। उनमें से १२ बकरियों के दूध से २५, ९२० मनुष्यों का एक दिन पालन होता है। उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और बकरे भी बोझ उठाने आदि प्रयोजनों में आते हैं और बकरा-बकरी और भेड़ा-भेड़ी के उनके वस्त्रों से मनुष्यों को बड़े-बड़े सुख लाभ होते हैं। यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता है, तथापि बकरी के दूध से उसके दूध में बल और घृत अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य दूध देने वाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख-लाभ होते हैं, वैसे ही घोड़ा-घोड़ी और हाथी आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुअर, कुत्ता, मुर्गा-मुर्गी और मोर आदि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं। जो पुरुष हिरण और सिंह आदि पशु और मोर आदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें, तो ले सकते हैं। परंतु सबका पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल, होवेगा। वर्तमान में परमोपकारक गौ की रक्षा में मुख्य तत्पर्य है। दो ही प्रकार के मनुष्य आदि की प्राण रक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती है- एक अन्नपान, दूसरा अच्छादान। इनमें से प्रथम के बिना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है।

देखिए, जो पशु निःसार घास, तृण, पत्ते, फल-फूल आदि खावें और सार दूध आदि अमृतरूपी रत्न देवें, हल, गाड़ी में चलके अनेक विध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके बुद्धि, बल, पराक्रम को बढ़ाकर निरोगता करें, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि के समान पुरुषों के साथ विश्वास और प्रेम करें, जहाँ बाँधे वहाँ बंधे रहे, जिधर चलावे, उधर चलें, जहाँ से हटावें, वहाँ हट जावें, देखने और बुलाने पर समीप दौड़ आवें, जब कभी व्याघ्रादि पशु वा मारने वाले को देखें, अपनी रक्षा के लिए पालन करने वाले के समीप दौड़ आवें कि यह हमारी रक्षा करेगा।

जिनके मरे पर चमड़ा भी कंटक आदि से रक्षा करें, जंगल में चरके अपने बच्चे और स्वामी के लिए दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले आवें, अपने स्वामी की रक्षा के लिए तन, मन, धन लगावें, जिनका सर्वस्व राजा और प्रजा आदि मनुष्यों के सुख के लिए है, इत्यादि शुभ गुण युक्त, सुखकारक, पशुओं के गले छूरों से काटकर जो (मनुष्य) अपना पेट भर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी, दुःख देने वाले और पापी जन होंगे?

इसीलिए यजुर्वेद के प्रथम ही मंत्र में परमात्मा की आज्ञा है कि - (अघन्या यजमानस्य पशून् पाहि) हे पुरुष। तू इन पशुओं को कबी मत मार और यजमान अर्थात् सबको सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर, जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे, और इसीलिए ब्रह्म से लेकर आज पर्यंत आर्य लोग पशुओं की हिंसा में पाप और अधर्म समझते हैं और इनकी रक्षा में अन्न भी महँगा नहीं होता, क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्र को भी खान-पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है, और अन्न के कम खाने से मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी न्यून होती है। दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष होती है। उससे रोगों की न्यूनता होने से सबको सुख बढ़ता है।

इससे यह ठीक है कि गौ आदि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है। क्योंकि जब पशु न्यून होतो हैं, तब दूध आदि पदार्थ और खेती आदि कार्यों की भी घटती होती है। देखो, इसी से जितने मूल्य से जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बैल आदि पशु ७०० वर्ष के पूर्व मिलते थे, उतना दूध, घी और बैल आदि पशु इस समय दशगुणे मूल्य में भी नहीं मिल सकते। क्योंकि ७०० वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं को मारने वाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत आ बसे हैं। वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड़माँस तक भी नहीं छोड़ते, तो 'नष्टे मूले नैव पत्रं न पुष्पम्' जब कारण का नाश कर दें, तो कार्य नष्ट क्यों न हो जावें, हे मांसाहारियों, तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात पशु न मिलेंगे, तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं? हे परमेश्वर, तु क्यों इन पसुओं पर जो कि बनिा अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता है? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या उनके लिए तेरी न्याय सभा बंद हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता और उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता? जिससे ये बुरे कर्मों से बचे।

गो करुणानिधि से साभार

जीवन रक्षा के लिए आत्मबल को बनाए रखे

- डॉ. अशोक आर्य

जिस व्यक्ति का आत्मबल मज़बूत है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आत्मबल ही सब सुखों का आधार है। जिसमें आत्मबल नहीं, वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रतिक्षण अपनी ही निंदा करते दिखाई देते हैं। उनका यह स्वभाव ुनमें आत्मबल की कमी ही दिखाता है। अपने पास बलवान सेना होते हुए भी आत्मबल विहीन योद्धा रणक्षेत्र में विजयी नहीं होता, जबकि आत्मबल का धनी कम सेना होते हुए भी विशाल सेना को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन की उन्नति के लिए सफलता के लिए आत्मबल को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस संबंध में यजुर्वेद तता सामवेद में मंत्र हमें इस प्रकार आदेश दे रहा है-

यो नः अर्णो, बम्ब निष्टयो जिघांसति ।
देवास्तं सर्वे धुर्वन्तु, ब्रह्मवर्म ममान्तरम्।।

जब भी कोई हमारा मित्र या अपना कोई परकीय अथवा बाहरी व्यक्ति हमें नष्ट करना चाहता है, तो समस्त देवता उसे नष्ट करें। आत्मबल युक्त में सुरक्षित रहूँ। ऊपर मन्त्र के भावार्थ से स्पष्ट होता है कि मंत्र दो बातों की ओर संकेत देता है।

१) जो व्यक्ति दूसरों की हानि करते हैं, अथवा दूसरों को मारते हैं, देवता ऐसे लोगों को नष्ट करें।

२) ब्रह्म ही आंतरिक शक्ति है।

अपने स्वार्थ को सम्मुख रखते हुए तथा उसकी पूर्ति के लिए अनेक समय पराए तो पराए, अपने भी हानि पहुँचाने के लिए क्रियमान होते हैं। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ के कारण शत्रु तो प्रायः विनाश का खेल खेलते ही हैं, अनेक बार यह लोभ अपने मित्रों को, परिजनों को भी शत्रु बना देता है। परिवार की धन-सम्पत्ति के प्रश्न पर अनेक बार भाइयों को लड़ते व एक-दूसरे को काटते देखा है। भारत में एक जाति तो माता-पिता तक को भी नहीं छोड़ती। लोभ के ही कारण औरंगजेब ने अपने ही जनक, अपने ही पिता बादशहा शाहजहाँ को बंदी बनाकर, उसकी सत्ता को छीन लिया। क्या कमी थी, सत्ता विहीन रहते हुए भी? सब प्रकार के सुख, सम्पदा, नौकर, चाकर उसके पास थे। सब प्रकार के सुख उसे प्राप्त थे, किन्तु फिर भी अपने ही पिता को जेल में डालकर उससे सत्ता छीनकर अपना अधिपत्य स्थापित करने की। यह सब लोगों का ही तो परिणाम है। आज हमारे देश की भी यही अवस्था हो रही है।

देश के उच्च स्थानों पर बैठे अनेक मंत्रीगण आज जेल की सीखचों में बंद हैं, क्योंकि लोभ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपार धन के स्वामी होते हुए भी लोभवश धन को प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग पर चले व चल रहे हैं। तभी तो माननीय अन्ना हज़ारे तथा बाबा रामदेव को सरकार के सन्मुख दीवार की भाँति खड़ा होना पड़ रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को कहना पड़ता है कि जो संसद लोकतंत्र का मंदिर होनी चाहिए थी, वह आज भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनती चली जा रही है, इसे रोकने का जिम्मा जनता का है। जनता अपने अधिकारों का ठीक प्रयोग कर इसकी अस्मिता की रक्षा करें।

पारीवारिक संपत्ति के बंटवारे के समय आज भाई अपने ही भाई के अधिकार पर कब्जा जमाने के लिए लड़ता देखा जा सकता है। इस अवसर पर अनेक संकट खड़े होते हैं। अनेकबार तो कुछ लोग इस अवसर पर अपने जावन को भी खो बैठते हैं। यह सब क्या है? यह हमारे अन्दर दुर्गुनों की, दुर्वासनाओं की सत्ता का ही परिणाम है। जब हम दुर्गुनों को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो हम उसके ऐसे ही परिणाम पाते हैं। इन दुर्गुणों के ही कारण हम अपने ही परिजनों के लिए कष्टों का कारण बनते हैं। जब परिजन ही धन के लोभ में एक-दूसरे के नाश को तत्पर हो सकते हैं, तो अन्यों की क्या चर्चा करें?

अन्य तो होते ही अन्य है। वह तो प्रतिक्षण अवसर को ही खोज में होते हैं। अवसर पाते ही महाविनाश का कारण बनते हैं। अतः अन्य लोग शत्रु भावना से अथवा लोभ की भावना से दूसरों की धन-सम्पदा वा भूमि पर बलात् अधिकार कर उन्हें हानि पहुँचाने का यत्न करते हैं। मंत्र कहता है कि जहाँ भी ईर्ष्या-द्वेश की भावना है, जहाँ भी लोभ प्रभावी है, वहाँ एक मनुष्य दूसरे की हानि करने में कभी संकोच नहीं करता। जो व्यक्ति दुर्गुनों तथा दुर्व्यसनों से ग्रसित है, वह कभी दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। वह तो दूसरे का विनाश कर उसकी धन-सम्पदा का स्वामी बनने का प्रयास करता है। तभी तो प्रतिदिन लूट-पाट, आगजनी व कत्लेआम की घटनाएँ हमें सुनने को मिलती है। कर्मों से नष्ट-भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति और कर भी क्या सकता है? विनाश ही उसका उद्देश्य होता है। विनाश ही उसका जीवन होता है तथा विनाश ही उसका कर्तव्य होता है।

मंत्र का दूसरा बाग रक्षा का मार्ग बनाते हुए कहता है कि वह प्यारा प्रभु ही मेरा आंतरिक कवच है। परमात्मा का आभिप्राय उस महान प्रभु से है, उस ज्ञान से है, उस सत्य से है, उस आत्मबल से है, उस आस्तिकता से है, जिसकी शरण में रहते हुए हम अनेक सुखों के स्वामी बन अपने जीवन को रक्षित करते हैं।

परमात्मा से रक्षित हो जब हम आत्मबल के स्वामी बन जाते हैं, तो सब प्रकार की संपत्ति की रक्षा की शक्ति हममें आ जाती है, जबकि आस्तिक व्यक्ति सब प्रकार के पापों से स्वयं को रक्षित करने में सक्षम होता है। यह आत्मबल तथा आस्तिकता ही मनुष्य का आंतरिक बल है। जो मानव इन दो शक्तियों का धनी है, उसकी आंतरिक शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह बड़े से बड़े संकट का सामना भी बड़ी सरलता से कर सकता है। जब इन दोनों के साथ ज्ञान और सत्य मिल जाते हैं, तो सोने पर सुहागे का काम होता है। ज्ञान और सत्य मानव को बल प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार आत्मबल तथा आस्तिकता के साथ जब सत्य व ज्ञान का मिश्रण हो जाता है, तो यह मिलकर मानव का आंतरिक कवच बन जाता है। यह आंतरिक कवच मानव को अंदर की अनेक बुराइयों से रक्षा का कार्य करता है।

'मूर्तिपूजा से क्षणिक संतुष्टि तो होती है, पर तृप्ति नहीं'

- खुशहालचंद्र आर्य

संतुष्टि मन का विषय हैऔर तृप्ति आत्मा का विषय है। मूर्तिपूजा से मन की संतुष्टि कुछ समय के लिए ज़रूर होती है, पर इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा की तृप्ति के लिए या आत्मा की भूख मिटाने के लिए हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना ही करनी पड़ेगी। जैसे शरीर की भूख भोजन से मिटती है, वैसे ही आत्मा की भूख मिटाने के लिए ईश्वर की आराधना यानि स्तुति, प्रार्थना व उपासना की आवश्यकता होती है। पहले हम ईश्वर की स्तुति से उसकी प्रसंसा करते हैं और ईश्वर के किये उपकारों का गुण-गान करके ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और अपने मन के भावों को जगाते हैं और फिर प्रार्थना से अपने दोषों को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं और उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए निवेदन करते हैं। जब हम दोषों के छोड़ने का संकल्प कर लेते हैं, तब हम ईश्वर की उपासना अर्थात् ईश्वर के पास बैठते हैं और ईश्वर के गुण, दया, करुणा, परोपकारिता, निष्पक्षता आदि अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना आरम्भ कर देते हैं और वे गुण हमारे जीवन में आने से हम मानवन कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं। संध्या करने से हमें यह लाभ होता है कि हम ईश्वर के पास वैठकर अपने दुर्गुनों को छोड़ना और सद्गुणों को ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। संध्या करते-करते हम अष्टांग योग की ओर बढ़ने लगते हैं। अष्टांग योग के यम-नियमों के पालन से हम अपने अंदर और बाहर के गुणों की शुद्धि करके ईश्वरीय गुणों को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फिर प्राणायाम द्वारा अपने चंचल मन को किसी एक स्थान पर एकत्र करके धारणा, ध्यान-समाधि की ओर बढ़ते हैं। जैसे-जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, हमें आनंद की अनुभूति अधिक होती जाती है और समाधि तक पहुँचने पर हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। कारण हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। ईश्वर आनंद का भंडार है, हमें उसी आनंद के सागर में गोते लगाने का मौका मिल जाता है। ईसलिए वहाँ हमें अपार आनंद की अनुभूति होने लगती है। बस.. यही ईश्वर की प्राप्ति है और यही आत्मा की तृप्ति है और यही मानव का आंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए ईश्वर जीव को मानव योनि में भेजता है। मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम योनि है और ईश्वर की अंतिम कृति है। मोक्ष का द्वार भी यही योनि ही है। समाधि प्राप्त मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते है, जिसको अवधि ३२ मील २० खरब ४० अरव वर्ष है। इस अवधि में जीव ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए मोक्ष के परम आनंद को प्राप्त करता रहता है। अवधि के वाद उसे पुनः धरती पर मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है।

यह मोक्ष हमें वैदिक रित्या नुसार संध्या (ब्रह्म यज्ञ) करके और अष्टांग योग करने से ही प्राप्त होता है। मूर्तिपूजा से यह कभी भी संभव नहीं। कारण मूर्तिपूजा करने से तो हम मूर्ति के श्रृंगार आदि को देखने में उसी के आस-पास ही घूमते रहते हैं और मूर्ति के दर्शन करके क्षणिक सुख पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और उसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति समझकर अपना पूरा जीवन इसी ताने-बाने में बिता देते हैं और ईश्वर प्राप्ति का सही वैदिक रास्ता पकड़ने पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं और उस रास्ते से सदैव भटके रहते हैं।

हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की उपासना को मूर्तिपूजा के माध्यम से करने की बतलाकर बड़ी भूल की है। इसका नाम मूर्ति दर्शन रखना चाहिए था। पूजा का तात्पर्य तो किसी की सेवा करना, सन्मान करना या उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। यह तीनों काम जीवित व्यक्ति के ही हो सकते हैं। जड़ के नहीं। जीवित माता-पिता, वृद्धजन व व्दिावनजन जो हमारा किसी रूप में भी उपकार करते हैं, हमें उसकी कृतज्ञता भाव से पूजा करनी चाहिए। यानि उसकी सेवा- सुश्रुपा व सन्मान करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। मीर्ति की पूजा हो ही नहीं सकती, उसके तो केवल दर्शन ही हो सकते हैं। किसी मनचाही वस्तु को देखकर मन में जो असन्नता या संतुष्टि होती है, वही प्रसन्नता वा संतुष्टि मूर्ति को भी देखकर होती है। पर यह मूर्ति ईश्वर से अपार आनंद की अनुभूति नहीं करवा सकती। इसके लिए हमे सन्धा से आरंभ करके अष्टांग योग को करते हुए हमें समाधि तक पहुँचना ही होगा। तभी हमें ईश्वर की अथाह आनंद की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं। इस पद्धति को सिखाने वाला केवल वैदिक धर्म ही है, अन्य कोई नहीं।

वैदिक धर्म में प्रत्येक गृहस्थ को पाँच महायज्ञों को करने का आदेश है।

१) ब्रह्मयज्ञ, २) देवयज्ञ, ३) पितृयज्ञ, ४) अतिथि यज्ञ, ५) बलिवैश्वदेव यज्ञ।

प्रथम ब्रह्मयज्ञ के दो अंग हैं, संध्या व स्वाध्याय, जो हमें ईश्वर प्राप्ति यानि मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। संध्या से हम ईश्वर के समीप वैठने की अनुभूति करके ईश्वर के गुण, दया, करुणा, सहृदयता, परोपकारिता, निष्पक्षता, न्याकारिता, सच्चाई, ईमानदारी आदि को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। दूसरा अंग है स्वाध्याय, इससे हम अपने जीवन के अच्छे व बुरे कार्यों का चिंतन करते हैं। चिंतन करके बुरे कर्मों को छोड़ना और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं, जो हमें ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही स्वाध्याय में अच्छी ज्ञानवर्धक तथा चरित्र निर्माण की पुस्तकों को पढ़ने का भी प्रावधान है। ये पुस्तकें भी हमारी बुद्धि को शुद्ध व पवित्र करते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यह भी ईश्वर की ओर ले जाने में सहायक होता है।

दूसरा है - देवयज्ञ, इसमें हवन और सत्संग करना होता है। जिससे वातावरण शुद्ध व पवित्र होता है और सत्संग से परिवार में प्रेम

(शेष पृष्ठ १९ पर)

इस साहस का समर्थन करें समाज

- सुनिल अमर

खाप पंचायतों की प्रतिगामी हरकतों से त्रस्त देश के नारी समाज में एक स्त्री ने अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाई है। घर-परिवार और समाज के तमाम ऐतराज को दर-किनार कर एक फौजी की निःसंतान ने वीर्य बैंक में रखे अपने पति के वीर्य से गर्भ धारण किया है। इस दंपति का एक अस्पताल में संतानोत्पत्ति हेतु इलाज चल रहा था। लेकिन फौजी पति को बार-बार छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण चिकित्सकों ने उसका वीर्य सुरक्षित रख लिया था। लगभग साढ़े तीन साल पहले पति की मौत हो गई। ३५ वर्षीया पत्नी ने न सिर्फ दूसरी शादी करने से इन्कार दिया, बल्कि उसने फरिजनों के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि वह स्थानीय अस्पताल में रखे अपने पति के वीर्य से गर्भवती होना चाहती है। जैसा कि फौजियों की निःसंतान विधवाओं के साथ अक्सर होता है, यहाँ भी परिजन व समाज इस स्त्री के विरुद्ध हो गये। ताज़ा स्थिति तक पहुँचने में उत्र प्रदेश के आगरा जिले की इस साहसी महिला को तीन साल लम्बी लड़ाई लड़कर अपने दृढ मनोबल का परिचय देना पड़ा और वह इस समाजिक लड़ाई को जीत गई। हमारे भारतीय माज की बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे नागर समाज के विरोध का अंतर्विरोध यह है कि वह स्त्री अधिकारों के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरकार के खिलाफ तो कूब प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन वहाँ से २०-३०किलोमीटर के दायरे में औरतों के खिलाफ ज़हर उगल रही खाप पंचायतों तक जाने की हिम्मत नहीं करता। ऊपर वर्णित घटना तो ऐसे घटनाक्रमों की एक कड़ी भर है, जहाँ परिवार के लोग अपनी ही विधवा बहू को महज़ इसलिए मार देते या मरने को विवश कर देते हैं, ताकि उसका हिस्सा और उसकी संपत्ति को कब्जाया जा सके। सती प्रथा इसी षड़यंत्र और कुकर्म का एक हिस्सा रही है। हम प्रायः देखते-सुनते हैं कि देश की रक्षा में शहीद हो जाने वाले सैनिकों की विधवाओं के साथ उनके ही सास - ससुर और जेठ-देवर कैसे न सिर्फ उस स्त्री का पारिवारिक हक बल्कि सरकार द्वारा दी गई सहायता को भी हड़प जाने का कुचक्र करते रहते हैं। कई मामलों में तो ऐसी विधवाओं को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। उपरोक्त मामले में तो वह स्त्री अपने ही पति के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करके अपने ही सास-ससुर के वंश को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन यह भी उन सबको अगर कबूल नहीं, तो इसका महत्व यही है कि वे अपनी संपत्ति का एक और हिस्सेदार नहीं चाहते।

ऐसी विचारधारा वाले परिवारों में ऐसी स्त्रियों के जीवन को भी खतरे से मुक्त नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसी सोच कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ लोगों की ही हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। समाज के सुशिक्षित तबके का भी कमोबेश यही हाल है। हमारे देश के तथाकथित संत-महात्मा, राजनेता, बड़े नौकर शाह तथा कुछेक न्यायाधीशों के विचार भी उक्त महिला के परिजनों जैसे ही हैं। देश के बलात्कार के बढ़ते अपराधों पर संतों, सामाजिक- सियासी नेताओं के कुविचार हम जान ही चुके हैं कि बलात्कार के मामलों में सारा दोष औरत का ही होता है। हमारी पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा और ज्ञान-विज्ञान की सारी तरक्की का हासिल महज़ यही है कि जिन परिवारों में सिर्फ लड़की ही है, वहाँ भी माँ-बाप का अंतिम संस्कार करने का हक उसे नहीं है। भले ही दूर के किसी रिश्तेदार पुरुष से यह करवाया जाए।

गत वर्ष जयपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जैन की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि माँ-बाप के अंतिम संस्कार बेटियों से कराने की कोई प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं बनती? ध्यान रहे कि राजस्थान खास तौर पर सती प्रथा से ग्रस्त राज्य है। असल में तो ऐसी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा तैयार कर पूरे देश में लागु कराया जाना चाहिए। लेकिन इसके उलट स्त्रियों से संबंधित बहुत से ऐसे मामले हैं, जहाँ अदालतों का रवैया भी हमारे पुरुष समाज की मानसिकता का ही विस्तार होता लगता है। अभी इसी साल की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक के एक सत्र न्यायालय के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी की। एक मामले में पति दहेज के लिए अक्सर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा करता था। जिससे उसकी आँख में गंभीर चोट आयी और वह हमेशा के लिए खराब हो गई। बाद में पत्नी ने तंग आकर ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। मुकदमा चलने पर ट्रायल न्यायालय ने मार-पीट की घटना को विवाहित जीवन का हिस्सा बताया और सभी तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया। जबकि इसी मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महिला के पति को सज़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते न्यायाधीशद्वय आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने ट्रालय कोर्ट की कड़े शब्दों में भर्त्सना की और कहा कि किसी महिला की पिटाई या उसे गाली-गलौज उसके आत्म सन्मान पर हमला है और इसे साधारण तौर पर नहीं लिया जा सकता। न्यायाधीशों ने कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें महिलाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचारों के प्रति अपना नज़रिया बदले। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि देश में सिर्फ यौन हिंसा से संबंधित एक लाख से अधिक मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। अगरा की इस महिला ने जिस साहस का परिचय दिया है, वह एक मिसाल है। एक स्त्री अपने शरीर की उसी तरह मालिक होती है, जैसे एक पुरुष। वह अगर अपने दिवंगत पति के बच्चे की माँ बनना चाहती है, तो इसे किस आधार पर उसका घर और समाज नकार सकता है? कारण साफ है कि अगर वह अपने पति के बच्चे की माँ बन जाएगी, तो वह भी पारीवारिक संपत्ति का हिस्सेदार हो जाएगा, लेकिन अगर वह विधवा किसी और से शादी कर लें, तो परिवार के लोग उसके हिस्से की संपत्ति के भी स्वामी हो जाएंगे। दुर्भाग्य से समाज के एक तबके में ऐसी सोच के लोग अब भी मौजूद हैं। बरहाल, इस महिला के साहस का समर्थन किया जाना ज़रूरी है।

६, ९ ११

- अभिमन्यु कुमार खुल्लर

गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग से उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त श्री नाहर सिंह वर्मा से भेंट वैदिक सार्वदेशिक के कार्यालय में कुछ वर्ष पूर्व हुई थी, जब मैं तत्कालीन संपादक श्री सुरेंद्र सिंह कादियान के पास बैठा हुआ था। कादियानजी ने मेरा उनसे परिचय करवाया। नाम सुनते ही श्रीवर्माजी ने कहा कि प्रकाशन से पूर्व ही वह मेरे लेख पढ़ लेते हैं। अब कल ही फोन पर उन्होंने पूछा कि सद्य प्रकाशित मेरा कौनसा लेख है? मैंने बताया 'ईस्वर सिंह सिंधी संबंधी मन्तव्य और मैं', तो तत्काल बोले, आपका लेखों का शीर्षक चयन अद्‌भुत होता है।आधा मैदान तो शीर्षक से ही मार लेते हो, और शेष सरल, सहज, बोधगम्य हिन्दी से. अब इस लेख का शीर्षक अंकों में देखकर श्री वर्माजी के अतिरिक्त अन्य पाठकों को अटपटा भी लगेगा और कौतुहलजनक भी।

स्पष्ट कर देता हूँ। यह शीर्षक मिला महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तीन बच्चियों से, जिनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर मारकर कुएं में फेंक दिया गया। उनकी यही आयु थी। पीड़ा हुई, अति पीड़ा हुई। यह सोचकर कि अदम्य कामवासना के वसीभूत होकर बलात्कार किया गया और संभावित परिणाम की आशंका से सबूत क्या, पात्रों को ही मौतके घाट उतार देने में न भय लगा, न संका हुई और न लज्जा लगी। पापकर्म से रोकने की इन ईश्वर प्रदत्त चेतावनियों को जैसे इन लोगों ने सुना ही नहीं। कामासक्त होकर पशु भी ऐसा व्यवहार करते हुए न तो देखे गये, न पढ़ने में आये और न ही सुने गये। केवल एक यही उदाहरण नहीं है। यदि मैं संकलित उदाहरणों का उल्लेख करूँ, तो अनेक पृष्ठ भर जावेंगे और विभत्सता की सड़ांध लेख में से निकलने लगेंगी। समाचार पत्रों में और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित सभी चैनलों में इस तरह के समाचारों में दिन-रात वृद्धि ही हो रही है।

दामिनी बलात्कार कांड, निर्भया बलात्कार पूरे देश को हिला चुका है। विश्व मीडिया में इसकी गूँज हो चुकी है। बड़े तगड़े आंदोलन के फलस्वरूप केंद्र सरकार को पहले अध्यादेश लाना पड़ा और अब संसद इस बिल को पारित कर चुकी है। पहले की अपेक्षा अब रेप (बलात्कार) की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है और सजा भी। बलात्कारी को फाँसी दिये जाने का प्रावधान रखने की माँग सभी तरफ से जोर-शोर से उठी थी। पर इस प्रकरण पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश वर्माजी की समिती ने 'आजीवन कारावास' की सज़ा-बिना पैरोल के दिये जाने की सिफारिश की थी। मुझे भी लगा कि माननीय वर्माजी पूरे देश में चल रहे आंदोलनों, और जनता की माँग से बेखबर है कि सज़ा-ए-मौत की सिफारिश नहीं की। कुछ समय गंभीरता से सोचने पर समझ में आया कि ट्रायल कोर्ट, (सबसे निचली अदालत) से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की लम्बी कानूनी प्रक्रिया, जिसमें वर्षों लग जाते हैं, के पश्चात् ही हत्या के अपराधी को जिसमें प्रत्येक न्यायालय यह सुनिश्चित करने पर ही फाँसी की सज़ा देता है कि अपराध रेअरेस्ट ऑफ रेअर (जघन्य अपराधों में भी जघन्यतम) श्रेणी का है। अपराधी को एक अवसर मिलता है कि वह राष्ट्रपति के पास प्राण भिक्षा की याचना करें। प्रत्येक अपराधी प्राण भिक्षा याचना करता है। प्राण भिक्षा की याचना पर राष्ट्रपति महोदय को 'स्वविवेक' से निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजता है। इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में अनेक वर्ष लगते हैं। फिर राष्ट्रपति कब निर्णय लेते हैं, इसमें भी अनेक वर्ष लग सकते हैं। फिर स्व-विवेक से क्या निर्णय लेते हैं, यह समस्ता आलोचनाओं से ऊपर की चीज़ है। आश्चर्य हुआ कि एक राष्ट्रपति ने उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये बारह प्राणदण्ड अभियुक्तों में से किसी को भी प्राण दण्ड की सज़ा नहीं दी। न्यायाधीश वर्माजी की अनुशंसा का रहस्य समझ में आ गया। कि फाँसी से ज्यादा भयानक,कष्टकारक तिल-तिल की मौत है, जो क्षणिक कामवासना की तृप्ति के उन्माद केकारण अपराधी जीवन भर भोगता रहेगा।

मेरे लिये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं समाचार पत्रों से कटिंग करता रही, न्यूज़ चैनलों की खबरों को संकलित करता रहा । दामिनी बलात्कार कांड के बाद बलात्कार की घटनाओं की जैसे बाढ़ ही आ गयी है। आयबीएन ७ के दिनांक ७ मार्च १२ के समाचार में बताया गया कि दिल्ली में प्रतिदिन रेप की चार घटनाएँ होती हैं। चीन ने तो दिल्ली को रेप की राजधानी ही बता दिया। घटनाओं में वृद्धि का कारण मीडिया का भय हो सकता है। यदि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और खबर मीडिया को मिल गई, तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं।

मैं जानना चाहता हूँ। सख्त कानून पास होने से, मीड़िया में बलात्कारियों की दुर्गति से न्यायालयों में लम्बी व कानून की कड़ी प्रक्रियाओं में से गुज़रने की आशंका में और इससे पहले पुलिस के सत्कार के भय से जनमानस में इस दुष्कृति के प्रति कोई विराग का वातावरण बन पाया है या भविष्य में बन सकेगा? मुझे लगता है कि 'नहीं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जिन संवेगों से बना है, उनका क्रम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर

बहुत प्राचीन काल से ही मनीषियों ने निर्धारित कर दिया है। इनमें प्रथम स्थान 'काम' को दिया है।

काम का साधारण अर्थ, कामना-इच्छा है, परंतु जिस कामना को नियंत्रित करने का उपदेश दिया जाता है, वह सामान्य कामना या इच्छा नहीं है। काम के आगे वासना जोड़ने से अर्थ कुछ स्पष्ट होता है। काम वासना का शब्द कोषीय अर्थ वासना का निवास या घर होता है। यदि कामवासना को रूढ़ रूप देकर 'जनेंद्रिय जन्य उत्तेजना' का अर्थ दिया जावे, तभी ठोस अर्थ मिलता है। इसी अर्थ में हम इस शब्द का उपयोग करेंगे। गीता ते अनेक श्लोकों में इसकी विकरालता का वर्णण है। श्रीकृष्ण महाराज ने काम को ज्ञान का ढकने वाला तथा व्यक्ति का महावैरी कहा है। जैसे धुएं से अग्नि, मल दर्पण तथा जेर से गर्भ ढका रहा है, वैसे ही इस काम के द्वारा का ज्ञान ढँका हुआ है। यह काम 'दुष्पूर'

है, 'अनल' है। दुष्पूर - जिसे कभी तृप्त नहीं किया जा सके। अनल अर्थात् आग- काम सब कुछ भस्मीभूत कर देता है- अक्ल (बुद्धि) को सबसे पहले।

पौराणिक कथानकों में स्वर्ग के राजा इंद्र, पृथ्वी पर ऋषियों की तपस्या के प्रभाव से अपने सिंहासन को डोलता हुआ अनुभव कर उनकी तपस्या भंग कराने के लिए रंभा, मेनका जैसी अप्सराओं का उपयोग करते थे। ये अप्सराएं सफल भी होती थी। विरोधी राजा की हत्या करने के लिए विषकन्याओं का उपयोग किया जाता था। महायुद्धों में गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रमणियों का उपयोग किया जाता रहा। 'माताहारी' का नाम अत्याधिक विख्यात है।

गीता और इंद्र का उदाहरण 'कामवासना' की दुर्दमनीयता को प्रदर्शित करता है और ये तथ्य श्रेष्ठ बौद्धिक वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। सामान्य, अति सामान्य व्यक्तियों के समक्ष नहीं बताये गये थे। जिनका विवेक इतना सा जागृत नहीं होता कि नीर-क्षीर का विभेद कर 'संयम' की बात सोचें। उनके लिए काम का उद्वेग, सामान्य भूख-प्यास से अधिक नहीं और जिसकी संतुष्टी भी भूख-प्यास की संतुष्टी जैसी ही शीघ्र और 'कैसे' भी होनी चाहिए। पचास वर्ष से भी पूर्व कानपुर की एक घटना का स्मरण हो आया। एक व्यक्ति इतना अधिक कामातुर हो गया कि दिन-दहाड़े, बीच बाज़ार में उसने एक अज्ञात लड़की को पकड़ लिया और यौन क्रिया में भिड़ गया। लोगों ने उन पर चादर डाल दी।

विचार प्रवाह महर्षि दयानंद की ओर मुड़ गया। संन्यासी शिष्य स्वामी दयानंद मथुरा के छत्ता बाज़ार से गुज़रते हुए यमुना के किनारे जाते और जल भरके लाते। आते-जाते समय दृष्टि सदैव ज़मीन पर रहती। यह भी उनकी ख्याति का कारण बनी। संभवतया, नहीं, नहीं निश्चित रूप से महर्षि ने किसी भी नारी की आँख में आँख डालकर जीवन पर्यंत नहीं देखा। महर्षि के बारे में कुलभूमि मासिक सिंतबर २००७ में लिका था कि महर्षि घंटों सिद्धासन पर बैठते थे। यह आसन वीर्यप्रवाह वाली नाडि को नियंत्रित करता था और 'मालकंगनी' औषधि का सेवन इसी हेतु करते थे। महर्षि एक समय भोजन करते थे, शुद्ध शाकाहारी, स्वादिष्ट और रात्रि में दुग्धपान, फलादि । २४ घंटों का पूरा-पूरा समय विभाजन कर रखा था और उनका सख्ती से पालन करते थे - अन्यथा सोच-विचार के लिए उनके पास समय ही नहीं था, यही तो उत्तर दिया था। कलकत्ते के युवक को जिसने महर्षि से प्रश्न किया था कि कामवासना ने उन्हें कभी सताया अथवा नहीं।

महर्षि की जीवनीकार देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने (पृष्ठ ५७०) एक घटना का उल्लेख किया है। एक दिन एक सेठजी आए, उनका दस वर्षीय पुत्र भी उनके साथ था। वह अत्यंत लज्जालु था। किसी प्रकार महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम नित्य सुबह उठकर और हाथ मुंह धोकर अपने माता-पिता को नमस्ते किया करो और पाठशाला जाते समय अपनी पुस्तकें स्वयं ले जाया करो, नौकर को मत ले जाने दो। 'यदि मार्ग में कोी स्त्री तुम्हें मिल जाए, तो उसकी ओर दृष्टि नीची कर लो। नहीं तो उस स्त्री की आकृति तुम्हारे मन में घुसकर एक प्रकार की उष्णता उत्पन्न करेगी और तुम्हें धातु क्षीणता का रोग हो जाएगा। जिससे तुम्हारा बहुत अनिष्ट होगा।'

गौर फरमाइये महर्षि दयानंद ने यह उपदेश 'दस साल' के लड़के को दिया। यह यह मानना मुश्किल ही होगा कि इस आयु का बालक कामवासना का क, ख, ग भी जानता होगा। फिर भी महर्षि को चिन्ता थी कि स्त्री-पुरुष के नेत्रों के मिलने से कामवासना की छवि बालक के मन पर भी बैठ सकती है।

आज हम कहाँ हैं? दिन-रात सेक्स परोसा जा रहा है। पूरी बाहू के ब्लाउज और साड़ियों में ढंकी तन वाली फिल्मी हिरोइनें अब दो तिन्दियों में आ गई हैं। टी.वी. चैनल्स पर भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। इस पर तुर्रा यह कि आइटम साँग के नाम पर फिल्मों में वह सब कुछ परोसा जा रहा है, जो वेश्यालयों में भी फिल्मों से ही पहुँचता है। कुछ बानगी देखिए -

१- मुन्नी बदनाम हुई यार तेरे लिये

२- बीडी जलाइले, जिगर से पिया, जिगर मा लगी आग है।

३- चोली के पीछे क्या है ?

४- शीला की जवानी

जब चौबीसों घण्टे, सिनेमा के पर्दे और टीवी पर यह परोसा जा रहा हो, तो हम कैसे उम्मीद करें कि बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करेंगे?

अपवादों को छोड़कर हम सामान्य जन मांसभक्षी (नारी) हो गये हैं। नई पीढ़ी के युवक-युवतियों को युवावस्था की दहलीज पर खड़े हुए बालक-बालिकाओं को इन्टरनेट के माध्यम

से पूरा कामशास्त्र देशी-विदेशी, मय रतिक्रियाओं के जीवित दृश्यों के साथ उपलब्ध है। अब मोबाइल पर भी इन्टरनेट उपलब्ध है। लुक-छिपकर देखने की ज़रूरत नही है। कभी भी देखा जा सकता है।

कामवासना खुद आग है, उसमें घी डालने वाली एक-दो बातों का उल्लेख करूँगा। केंद्रीय सरकार आंदोलनों के आगे घुटने टेककर बलात्कार के विरुद्ध अध्यादेश लाई और फिर फटाफट संसद में कानून पारित करा दिया। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें 'नशाबन्दी' के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार है। कारण स्पष्ट है कि यही मद ऐसा है, जिसमें लाखों रुपये की आय होती है। और इन मद पर टैक्स बढ़ाने के विरुद्ध कभी कोई जन आन्दोलन नहीं होता। यही स्थिति धूम्रपान की भी है। शासन ने अपने उत्तर दायित्व की इतिश्री वैधानिक चेतावनी - 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है', अंकित कराकर दे दी। रही भोजन की बात, उत्तर भारत में कचौड़ी, समोसे एवं अन्य गरिष्ठ भोजन की दुकानों की भरमार है। माँस, मछली युक्त पकवान व फास्ट फूड़ जमकर उपलब्ध है और जमकर खाये जाते हैं। पढ़े-लिखे युवा वर्ग में 'रेव पार्टियों' का प्रचलन तीव्रता से बढ़ा है और बढ़ रहा है। आज भी युवा पीढ़ी फिल्मी सितारों को अपना आयकॉन (आदर्श) मानती है। इसलिए बैगपाइपर शराब का विज्ञापन करते हैं, अजय देवगन और कामोत्तेजक दवा रिवाइटल का सलमान खान। स्थानीय समाचार पत्रों में कामवृद्धि में सहायक तेल और अन्य दवाइयों के विज्ञापन भरे रहते हैं। रही ड्रग्स, नशीली दवाइयों की बात। उसका व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला है। खिलाड़ी बी इनका उपभोग करते हुए समाचारों में आये दिन उपलब्ध रहते हैं।

अब मैं उन समाचारों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी विचार तंत्री को जड़ से हिला दिया, और इस विषय पर लिखने को मजबूर किया।

१ - टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली ३१-१२-२०१२ तथा दैनिक भास्कर, ग्वालियर के ३१ -१२-२०१२ में समाचार प्रकाशित हुआ है कि महाराष्ट्र के थाने जिले में डोंबिवली नगर के पुत्र व पिता को १९ वर्षीय पुत्री के साथ लगातार दो वर्ष तक दुष्कर्म करने के कारण गिरफ्तार किया गया।

२ - नई दुनिया, ग्वालियर ६ मार्च २०१३ - रात्रि में प्रसूति के लिए ले जाई जा रही ६३ वर्षीय नर्स के साथ ४ लोगों ने बलात्कार किया। ३ - नई दुनिया, ग्वालियर ७ मार्च २०१३ नाबालिग से किया पाँच नाबालिग छात्रों ने दुष्कृत्य। छात्रा १३ वर्ष, दुष्कृत्य करने वाले छात्र ११ से १४ वर्ष।

४ - १५ वर्षीय किशोरी से एक साल तक दैहिक शोषण किया एक २३ वर्षीय युवक ने। ५- मध्य प्रदेश में पाँच हज़ार लड़कियाँ गायब।

६ - उत्तर भारत में सुरक्षित नहीं महिलाएं।

७ - ७ मार्च २०१३ को ही रात्रिकालीन ९.३० बजे के बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में वर्ष २०१२ में २०६ रेप यानी प्रतिदिन चार प्रकरण दर्ज हुए। पिछले २४ घण्टों में ८ रेप यानी प्रतिदिन ४ रेप का औसत दिल्ली का ही है और एक जनवरी से १५ फरवरी २०१३ तक ८१ प्रकरण दर्ज हुए।

८ - आज ही ४ अप्रैल २०१३ को सभी चैनलों पर रात्रिकालीन न्यूज बुलेटिन में यह समाचार आया कि गुड़गाँव-हरियाणा का ४५ वर्षीय करोड़पति ट्रांसपोर्टर पिछले तीन वर्ष से अपनी सोलह वर्षीय पुत्री के साथ गौनाचार करता रहा। विद्यालय की प्राचार्या को सुबकते हुए लड़की ने आप बीती सुनाई। प्राचार्या की शिकायत पर पुलिस ने जाँच-पड़ताल की और पिता को गिरफ्तार किया।

देश की जनसंख्या १२० करोड़ से भी बढ़ गई है। सही आँकडे प्रस्तुत करना मुश्किल है। फिर भी ५०-६० करोड़ के लगभग युवक-युवतियाँ नई सोच- कामवासना नियंत्रण (ब्रह्मचर्य-वीर्य रक्षा, सैक्स से परहेज़) को एक टैब्बू - दकियानूसी विचार समझते हैं। सफलतापूर्वक सैक्सुअल लाइफ बिताई जा सकती है। यह कार्य व्यापार-महानगरों में काफी लम्बे समय पूर्व से धडल्ले से चल रहा है। कन्डोम व पिल्स का प्रचलन वैवाहिकों से ज्यादा बिन ब्याहों में है। मध्य स्तरीय नगर भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारे ग्वालियर में ही यूनिवर्सिटी के बाहर चाय आदि की दुकानों के पिछवाड़े मौज-मस्ती करने के अड्डे बने हुए थे। जिनका भंडाफोड़ कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। अशिक्षित अर्धशिक्षित बहुत बड़ा वर्ग है, जो रोजी-रोटी की जुगाड़ में पूरी जिन्दगी खपा देता है। नैतिकता-अनैतिकता उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाती। उद्दाम कामवासना का नियंत्रण करना चाहिए, उनकी समझ से बाहर की बात है।

यह है समस्या की ज़मीनी हकीकत। ५०- एकाध पश्न की चर्चा यदा-कदा होती रहती है। शरीर का कैन्सर व्यक्तिगत होता है- समाज का कैन्सर अत्यधिक विस्तृत ५०-६० करोड़ में फैलता हुआ। बुरी तरह त्रसित समाज इससे मुक्ति के लिए फड़फड़ा रहा है। भारतीय समाज के उस वर्ग को, जिसमें बुद्धिजीवी, विद्वान व सन्यासी आते हैं, सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में संगठित कर जनजागरण के कार्यक्रम चलाना है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों की शिक्षा तक उन्हें बुराइयों, अपराधों के परिणामों के बारे में सजग करना चाहिए। मेरी समझ में अब तक ऐसी किसी पहल का श्रीगणेश भी नहीं हुआ है। निकट भविष्य में संभावना कम ही दिखती है। जैसा चल रहा है, चलने दो। हमें क्या पड़ी ? यही सोच आम आदमी की है और विद्वानों व संन्यासियों की भी।

पोर्नोग्राफी पर अंकुश के समर्थन में

- राजकिशोर

प्रकृति ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है, जो मीठी हो, पर ज़हर का काम करती हो। इसका श्रेय मानव जाति को है, जिसने पोर्नोग्राफी को जन्म दिया है। छपाई मशीन के आविष्कार के पहले पोर्नोग्राफी नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज जितनी बुराइयाँ दिखाई पड़ रही है, उनके सूक्ष्म रूप अतीत में मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर, शेयर बाज़ार को मैं जुए का ही एक भव्य रूप मानता हूँ। शेयर बाज़ार एक सामूहिक सट्टा है, जब वह अचानक औंधे मुँह गिरता है, तो असंख्य परिवार कुछ ज्यादा गरीब हो जाते हैं। तो, पोर्नोग्राफी भी पहले थी, पर उसका विस्तार उन लोगों तक सीमित था, जिन्हें कामोत्तेजना के लिए वैसे ही किसी पुस्तक या चित्र की ज़रूरत नहीं थी। 'कामसूत्र' के रचयिता वात्सायन की विचित्रता यह है कि कहीं वे शास्त्रीय अध्येयता नज़र आते हैं, तो कहीं कामुकता के कोच कविता और लोकगीत ज़रूर इस कमी को पूरा करते थे, पर पोर्नोग्राफी की तरह वे बेपर्दा और प्रयोगवादी नहीं थे। कैमेरे और वीडियोग्राफी के आविष्कार के बाद पोर्नोग्राफी न केवल, लोकतांत्रिक हुई है, क्योंकि वह किसी को भी सहज ही उपलब्ध है। बल्कि भयानक रूप से लोक्तकतंत्र विरोधी भी, क्योंकि वह हर किसी की अस्मिता से खेल रही है। धरती पर जब एक भी औरत जलील होती है, तो सभी औरतें जलील होती हैं और इसके लि एक भी मर्द दोषी है, तो सबी मर्द दोषी हैं। तुम मुझसे अलग नहीं हो, न मैं तुमसे।

पोर्नोग्राफी को मैंने मीठा इसलिए कहा कि इसमें मज़ा आता है। सेक्स से जुड़ा प्रत्येक प्रसंग अधिकांश पुरुषों के लिए मनोरंजक होता है। किशोर अवस्था में पोर्नोग्राफी से दूर वही रह पाता है, जिसकी किस्मत खराब होती है। लेकिन जब आस्वाद का यही स्तर बड़े हो जाने के बाद भी बरकरार रहता है, तब समझना चाहिए कि किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। शरीफ और पढ़े-लिखे लोग भी पोर्नो देखते हैं। लेकिन वे लम्पट या बलात्कारी नहीं हो जाते, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक रचना का प्रभाव पोर्नो के असर पर भारी पड़ता है। लेकिन इससे उनके चित्त में कुछ ऐसा विक्षोभ तो पैदा होता ही होगा, जो स्त्री का अवमूल्यन करता है। इस दुबली-पतली नदियों को उस समुद्र में मिलाने से, जिसे पोर्नोग्राफी कहते हैं, एक ऐसा बरमूदा ट्रैंगिल बनता है, जहाँ स्त्री-पुरुष संबंध से जुड़ा कोई भी शील खींचकर नष्ट हो जाने को बाध्य है। इसके नतीजे में जिस विकृत मानसिकता का जन्म होता है, क्या वही बलात्कार तथा यौन प्रताड़ना की भूमिका तैयार नहीं करती?

इस पर थोड़ी मत-विभिन्नता है। हमारे जैसे लोग, जो अभी पूर्णतः आधुनिक नहीं हो पाए हैं, कहेंगे हाँ, भूमिका तैयार करता है। और नहीं तैयार करता हो, तब भी इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी इस तालाब का पानी पीता है, उसकी संवेदना मटमैली ज़रूर हो जाती है। बेशक, समाज का काम रोक लगाना नहीं है, किन्तु जो चीजें समाज की सामाजिकता को ही नष्ट करने वाली है, उन्हें पलने-पोंसने का वातावरण देकर समाज अपनी जड़ों पर प्रहार करना क्यों चाहेगा? दूसरी बात यह है कि पोर्नो किसी व्यक्ति की कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। यह तो शुद्ध रूप से एक बिजनेस है और बिजनेस भी कैसा, अत्यंत घृणित। मैंने इन्टरनेट पर कुछ पोर्नो देखे हैं। मेरा अनुभव यह है कि विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाओं में लगे पुरुषों और स्त्रियों में से किसी के भी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं है। जैसे दो मसीनें काम कर रही हो। इसका मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि ये अभिनेता और ये अभिनेत्रियाँ विडियो फिल्म बनाने के लिए किराए पर ली जाती हैं और बहुत बेबसी में ही इन अभिनयों के लिए तैयार होती है। ऐसे व्यापार पर रोक लगाने का प्रयत्न क्यों नहीं होना चाहिए?

इससे भिन्न मत रखने वाले उस आधुनिकता के पक्षधर हैं, जिसमें हर तरह की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। वे पोर्नोग्राफी पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आयाम मानते हैं। अगर यह व्यवसाय है, तो इसे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का हिस्सा मानना चाहिए। इनका एक तर्क यह भी है कि सेंसरशिप लगाकर पोर्नोग्राफी को खत्म नहीं किया जा सकता। अण्डर ग्राउंड हो जाने के बाद तो उनका बाज़ार और बढ़ जाएगा। पश्चिमी देशों में पोर्नोग्राफी को लेकर कोई ऊहापोह नहीं है। प्रायः सबी देशों में इस पर कोई रोक-टोक नहीं है। कुछ देशों में तो सेक्स म्यूज़ियम भी खुले हुए हैं। पोर्नो दिखाने के कई टीवी चैनल भी रात-दिन स्त्री का मांस और पुरुष की मांस पेशियाँ बेचते रहते हैं।

दावा किया जाता है कि इससे पोर्नोग्राफी का बाज़ार बहुत ढीला पड़ गया है और अधिकतर लोग इसे गंभीरतासे नहीं लेते। 'प्ले बॉय' और 'पेट हाऊस' जैसी पत्रिकाओं का पतझड़ आ गया है, और उनके पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। मुझे सच्चाई का पता नहीं है। हो सकता है, यह दावा सही हो। पर भारत की स्थितियाँ एकदम भिन्न हैं। मैं तो कहूँगा, उल्टी है। जिस तरह गोरे मुल्कों में धूम्रपान कम हो रहा है, और भारत तथा तीसरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसी तरह वहाँ पोर्नोग्राफी का बाज़ार मंदा पड़ रहा है, और हमारी तरफ मज़बूत हो रहा है। हमारे यहाँ जौन वर्जनाओं की गाँठ अब जाकर धीरे-धीरे ढीली हो रही है और यौन बुभुक्षा तेज़ी से बढ़ रही है। फिल्म, टीवी, विडियो आदि पोर्नोग्राफी नाम के डायनासोर के ही अंग-प्रत्यंग है। मुझे पूरा यकीन है कि डायनासोर भी एक दिन मरेगा ज़रूर, लेकिन तब तक कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर चुका होगा।

मेरी राय में, जागरूक पुरुषों के साथ-साथ स्त्री संगठनों को पोर्नोग्राफी उद्योग के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाना चाहिए। जब तक समाज की कामुक्ता को बढ़ाने का धंदा बना रहेगा, स्त्री- उत्पीड़न को नियंत्रित करने में कठिनाई आएगी। सिर्फ पुलिस वालों से टकराना बिल्कुल नाकाफी है। जिन्हें बलात्कार-मुक्त समाज चाहिए, उन्हें समस्या के दूसरे पहलुओं को देखना-परखना होगा और कार्यवाही का नक्शा बनाना होगा।

कहाँ ले जाएगी यह दरिंदगी

- गौरी शंकर राजहंस

आज़ादी से ठीक पहले राष्ट्रकवि 'दिनकर' ने दिल्ली के बारे में एक कविता लिखी थी - वैभव की दीवानी दिल्ली। अनाचार, अपमान, व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली। दिल्ली के बारे में जो बातें उस समय सच थीं, वे आज भी सच हैं, बल्कि सच कहा जाए, तो परिस्थितियाँ अंग्रेज़ों के समय की तुलना में आज़ हज़ार गुना बदतर हो गई हैं। इस मामले में अंग्रेज़ों का कानून कड़ा था। आज जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि अपने देश में राक्षसी प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। १६ दिसंबर को हुई दरिंदगी से अपने देश ही नहीं, सारे सांसार के लोग सकते में आ गये। हाल ही में जर्मनी में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दिल्ली सामुहिक दुष्कर्म कांड के बारे में पूछा था। डोंपते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसी घटना वारत में नहीं होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की व्यवस्था की गई है। उसके सीघ्र बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया। जिसे बाद में कानून का रूप संसद में दिया गया। इस बिल में दुष्कर्म करने वाले दोषियों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था है। उम्मीद थी कि इस बिल के पास हो जाने के बाद अब कोई महिलाओं के संग दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं तो अकल्पनीय थी। लगता है कि अब दरिंदगों को कानून की कोई परवाह नहीं रह गई है। अन्यथा पाँच वर्ष की बच्ची के संग ऐसा वहशी कुकृत्य करने का साहस कोई नहीं कर सकता था। सबसे आस्चर्य की बात तो यह है कि इस दरिंदगी की घटना में पुलिस का रवैया अत्यंत ही शर्मनाक रहा। एक तो पुलिस ने एफआयआर लिखने से मना कर दिया, फिर बच्ची को खोज निकालने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब बच्ची करीब-करीब मरनासन्न अवस्था में पाई गई, तो उसे निकटतम अस्पताल ले जाने की पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की। यही नहीं, पुलिस ने परिजनों को रिश्वत देकर इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब अस्पताल में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ इस जघन्य अपराध के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थीं, तब टीवी कैमेरे के सामने दिल्ली पुलिस ने एसीपी की लड़की को थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना को सारे देश में लोगों ने देखा और विदेशों में भी । विदेशों में रहने वाले मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने फोन कर मुझसे पूछा कि आखिर दिल्ली में यह क्या हो रहा है ? उन्होंने यह भी कहा कि गुड़िया के साथ हुई दुष्कर्म वाली घटना और पुलिस द्वारा लड़कियों को थप्पड़ जड़ देने की घटना स्थानीय अंग्रेज़ी टीवी चैनलों पर भी लगातार दिखाई जा रही है। इस खबर को देखकर अमेरिका और कनाड़ा वासी भारत का मज़ाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत के लोग अभी भी जंगली हैं, जो न अपनी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, और न अपनी बच्चियों को। ऐसे में कोई विदेशी महिला सैलानी बनकर अकेले भारत आने का साहस कैसे दिखा सकेगी? इस निंदनीय घटना से विदेशों में रहनेवाले हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है।

संस्कृत में लोकोक्ति है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता बसते हैं। शायद इसी बावना से हर वर्ष नवरात्रि में दुर्गा पूजा के समय विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। इसी अष्टमी के दिन दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सारे भारत में सभ्य समाज में बेटियों को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। बंगाल में तो बचपन से ही बेटी को माँ कहा जाता है। हमारी सभ्यता शर्मसार हो गई, जब एक अबोध बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ।

यह सही है कि अब कानून का डर किसी को नहीं रह गया है। पुलिस भ्रष्ट हो गई है। दुष्कर्म करने वाला सोचता है कि एक तो वह कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा और यदि आएगा भी तो पुलिस की मुट्ठी गर्म कर दी जाएगी और मामला रफ-दफा हो जाएगा। पीड़िता के अभिभावकों को डरा-धमका कर पुलिस चुप करा देगी और कहेगी कि इससे उसके परिवार की ही बदनामी होगी। यह सच है कि अधिकतर मामलों में पुलिस के डंडे के डर से पीड़ित गरीब परिवार के लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। अब समय आ गया है आत्मनिरीक्षण का। दिल्ली सामुहिक दुष्कर्म के विरोध में विजय चौक और इंडिया गेट पर हज़ारों युवक-युवतियाँ कई दिनों तक प्रदर्शन करते रहे और पुलिस के प्रहार बर्दाश्त करते रहे। ठीक उसी तरह के प्रदर्शन इस बार भी हुए। पुलिस मुख्यालय के सामने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के निवास के सामने। गुड़िया का तो इलाज एम्स में चल रहा है, परंतु ऐसी अनेक गुड़िया हैं, जो दरिंदों कीहवस काशिकार बनी हैं। चीन में यदि ऐसी घटना हुई होती, तो दोषी को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी गई होती। वहाँ इस तरह की घटना में न्यायालय में तीन-चार दिन में ही फैसला हो जाता है। भारत में चाहें फास्ट ट्रैक कोर्ट ही क्यों नहीं हो, मामला लम्बा खींचता रहता है। किसी गरीब व्यक्ति के पास इतनी आर्थिक ताकद नहीं होती है कि वह लम्बे खींचने वाले मुकदमें का खर्चा वहन कर सकें। अंत में वह टूट जाता है और मामला रफा-दफा हो जाता है। पुलिस सुधार की बात सभी करते हैं। परंतु इसमें पहल कोई पार्टी नहीं कर रही है। समय आ गया है, जब अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछें कि इस तरह दरिंदगी आखिर अपने देश और समाज को कहाँ ले जाएगी और क्या इस तरह की शर्मनाक घटनाएँ हमें संसार के सभ्य देशों में मुँह दिखाने लायक रखेगी?

प्रतिनिधियों को चुनाव संबंधी सूचना

पहले ९ सभासदों पर एक प्रतिनिधि। बाद में हर २० पर १-१ प्रतिनिधि भेज सकते हैं। कुल पाँच से अधिक प्रतिनिधि नहीं भेजे जा सकते।

हर सदस्य का वार्षिक शुल्क २५० पर तीन वर्ष का दशांश।

प्रवेश शुल्क २५ रुपये।

आंदोलन शुल्क ३०० रुपये। प्रतिनिधि शुल्क २५ रुपये हर प्रतिनिधि पर। सभी फॉर्म भरकर हस्ताक्षर के साथ जमा कराएं।

ఆర్య సమాజ్.......వివరాలు

1. ఆర్య సమాజం పేరు, చిరునామా ______________________________

____

ఫోన్ నం. ______________________________

2. సభాసదుల సంఖ్య ____________ 3. చందా ద్వారా వార్షిక ఆదాయము ____________

4. మూడు సంవత్సరాల మొత్తం ఆదాయం ______________________________

5. స్థిరాస్తుల ద్వారా ఆదాయం ____________ 6. స్థిరాస్తుల వివరాలు ____________

7. ప్రధాన కార్యక్రమముల వివరాలు ______________________________

8. సమాజ ఎన్నికలు నిర్వహించిన తేది : ______________________________

మంత్రి   ప్రధాన్

ఆర్యసమాజము ______________________________

ప్రతినిధి మరియు సమాజం యొక్క ప్రతిజ్ఞలు

ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నియమోపనియమాల (Byelaws) సంఖ్య 10, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 47, 48, 56, 57, 58 మరియు ప్రత్యేకంగా ఉపనియమము సంఖ్య (2) లను మరియు ఆర్య నియమాలను

1. మా సమాజము అంగీకరిస్తున్నట్లు ప్రతిజ్ఞ [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] స్వీకరించుచున్నాము.
4. ఈ పత్రములో వివరించబడిన అంశాలు సత్యమైనవని మేము ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాము.

ప్రధాన్ సంతకం   ప్రతినిధి సంతకం   మంత్రి సంతకం

ఆర్య సమాజము.......................

ఓం

ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆంధ్ర ప్రదేశ్

సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాదు

ప్రతినిధుల అభ్యర్థన పత్రము

నెం. ______________ [illegible] : ______________

ఆర్య సమాజం పేరు : ______________

సభాసదుల సంఖ్య : ______________

ప్రతినిధి పేరు : ______________

తండ్రి పేరు : ______________

చిరునామా : ______________

____

వృత్తి ______________ ఫోన్ నెం. ______________

శ్రీమాన్ మంత్రిజీ, ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆంధ్ర ప్రదేశ్, సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్

నమస్తే,

ఆర్యా!

ఆర్య సమాజము ______________ [illegible] శ్రీ ______________ [illegible]

[illegible]

ప్రధాన్ మంత్రి

ఆర్య సమాజము ______________

[illegible]

ప్రతినిధి, ప్రతిజ్ఞ పత్రము

[illegible]

[illegible]

____

ఆర్య సమాజ్ ______________________ యొక్క సభాసదుల పట్టిక

క్రమ సంఖ్య	పేరు	తండ్రిపేరు	వయస్సు	వృత్తి	వార్షిక చందా రుసుము

కోశాధ్యక్షులు   మంత్రి   ప్రధాని

ఆర్యసమాజము

(शेष पृष्ठ १८पर)

ఆర్య సమాజ్ ________________ యొక్క ఆదాయ వ్యయముల పట్టిక

(2002 నుండి 2005 వరకు 3 సంవత్సరాల వివరాలు ఇవ్వగలరు)

ఆదాయము	వ్యయము
1) సభ్యుల చందా నుండి ఆదాయము రూ. ________	1) యజ్ఞం పై ఖర్చు రూ. ________
2) కిరాయి నుండి వచ్చిన ఆదాయము రూ. ________	2) సమావేశాలపై ఖర్చు రూ. ________
3) ఇతర విధముల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయము రూ. ________	3) ఇతర ఖర్చులు రూ. ________
మొత్తం ________	మొత్తం ________

మంత్రి   ప్రధాని

ఆర్యసమాజము ________________

आर्य समाज ________ मंडल ________ जिला ________ का

समाज की सम्पत्ति आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश के नाम करने तथा सभा के अनुशासन में रहने का

शपथ पत्र (AFFIDAVIT)

आर्य समाज ________________ की अचल सम्पत्ति निम्न लिखित है। जो मुनिसिपल ग्राम पंचायत में आर्य समाज के नाम से अंकित है। तथा आर्य समाज के नाम आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश के नाम रजिस्टर्ड है वो है ________________

दिनांक ________________ को आयोजित आर्य समाज की यह साधारण सभा सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित करती है कि यह समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश, सुल्तान बाजार, हैदराबाद के अंतर्गत है तथा इसी के अनुशासन में रहेगी। अनुबंधित संस्था होने के नाते इसकी समस्त अचल सम्पत्ति की अधिकारीणि (ownership [illegible]) आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश को रहेगा घोषित। अर्थात समस्त चल-अचल सम्पत्ति की मालिक सभा ही रहेगी तथा विवाद के समय भी अंतिम निर्णय सभा का ही रहेगा जो कानूनन वैध माना जायेगा।

हम लोग घोषणा करते है कि प्रस्ताव तथा पत्र में जो कुछ लिखा व लिखाया गया है वह ठीक है तथा [illegible] यह समाज की समस्त चल-अचल सम्पत्ति पर भी सभा को ही मालकीयत का (ownership right) [illegible]

यह समाज सभा की धारा ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५६, ५७, ५८, [illegible] (२) आदि को विशेष एवं समस्त धाराओं को मानेगा तथा सभा की आज्ञाओं के विरुद्ध अपने यहां कोई [illegible] न होने देगा तथा जो नियम आर्य समाज के लिए समय-समय पर सभा बनाएगी, उनका यह समाज [illegible] और सभा द्वारा नियत शुल्क दिया करेगा।

सभा के नियमोपनियम के विरुद्ध कार्य करने पर हिसाब ठीक-ठाक न रखने एवं न भरने पर सभा [illegible] रहेगा कि समाज को भंग कर तदर्थ समिति बनाए व समस्त सम्पत्ति के साथ समाज को अपने स्वाधीन [illegible] सभा द्वारा समाज की सम्पत्ति को अपने स्वाधीन करने की कार्यवाही को कानूनन वैध माना जायेगा [illegible] स्वीकार करते है।

कोषाध्यक्ष
आर्य समाज

मंत्री
आर्य समाज
प्रतिनिधि आर्य समाज

प्रधान
आर्य समाज

(शेष पृष्ठ १८पर)

'స్వస్తి పంథా మనుచరేమ'

[illegible]

बढ़ती आवारगी

... ये कहाँ जा रहे हम

निश्चित-तौर पर इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में स्वयं के मज़बूत स्तंभ के तौर पर उभरने का दावा करने वाले देश में होने वाले एगिनोंने कृत्य इसे न जाने कितनी सदियों पीछे धकेल देते हैं। अति आधुनिकता ने जिस हद तक वैयक्तिकता और एकांकिता को बढ़ावा दिया है। उसमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है। संयुक्त परिवारों के बिखराव ने सामाजिक संरचना को बहुत आहत किया है। अति भौतिकता और पुरातन के द्वंद्व में फंशे इस देश के रहन-सहन और बोल-चाल में तो आधुनिकता आयी, लेकिन विचारों और मानसिकता में जो आमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए थे, वे नहीं हुए। आधुनिकता से आशय सिर्फ पहनावे को माना गया, विचारों के परिवर्तन को नहीं, जिसका खामियाज़ा न जाने कितनी बच्चियों और युवतियों को भुगतना पड़ रहा है। नैतिकता, आदर्श मूल्य जैसी बातें वर्तमान समय में खोखली साबित हो रही हैं। आज हर ओर व्यावसायिकता हावी है और उसी के अनुरूप आये दिन नए केस सामने आ रहे हैं। अभी हम नये तरीके से दामिनी केस की बर्बरता से खुद को उबार भी नहीं पाए थे कि अचानक पाँच वर्षीय बिटिया के साथ हुई बर्बरता और दरिंदगी ने सभी को भीतर तक उद्वेलित कर डाला। यह सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

साथ चलने वालों का विरोध उचित नहीं

आत्मद्वेषाद् भवेन्मृत्युः परद्वेषाद् धनक्षयः।
राजद्वेषाद् भवेन्नाशो ब्रह्मद्वेषात्कुलक्षयः।।

व्याख्या : अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है—दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किन्तु ब्राह्मण से द्वेष करने से सम्पूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। भाव यह है कि विद्वानों, राजा, ब्राह्मण और जीवन में साथ-साथ चलने वाले परिजनों का विरोध न करके उनका स्नेह और सौहार्द ही प्राप्त करना चाहिए।

(पृष्ठ ६ का शेष)

बढ़ता है।

तीसरा है पितृयज्ञ- जिसमें माता, पिता, गुरु व वृद्ध जनों की सेवा व सुश्रुषा करने का विधान है। यहाँ यह बात बतला देना भी उचित है कि सेवा को सब समझते हैं, पर सुश्रुषा को कम समझते हैं। सुश्रुषा का तात्पर्य है कि वृद्धों की बात को ध्यान देकर सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना। इससे भी वृद्धजन सेवा की भाँति ही संतुष्ट व प्रसन्न होते है, जो वर्तमान में कम होता दिखाई देता है।

चौथा है अतिथि यज्ञ - यह कोई बिना निश्चित समय किसे विद्वान, ब्रह्मचारी, वानप्रस्ती या सन्यासी आ जावे तो, उसकी यथा शक्ति जल व भोजन से सेवा करना, अतिथि यज्ञ कहलाता है। यह विशेषकर ग्रह स्थितियों पर लागु होता है। अतिथि सेवा हमारे वैदिक धर्म में एक विशेष स्थान रखता है।

पाँचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ - यह प्राणि मात्र के कल्याण करने के भाव का यज्ञ है। इसमें प्रत्येक मनुष्य को अपना भोजन करने से पहले भोजन का कुछ अंश निकालकर, चींटी, गाय, चिडी, कबूतर, अपाहिज, भूखे को खिलाकर फिर स्वयं को खाने का यज्ञ है। इस प्रकार वेदों में पाँच यज्ञों को करने का विधान है। इनके पालन करने से हर व्यक्ति स्वयं सुखी रहते हुए समाज, राष्ट्र व प्राणिमात्र को सुखी बना सकता है।

वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जो ईश्वर की सही उपासना करना सिखाता है तथा अपना व दूसरों के जीवन को सुखी और उन्नत बनाते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। वैदिक धर्म किसी एक की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी शिक्षा देकर सबके जीवन को सुखी बनाता है। यह शुभ कर्म करने की और अशुभ कार्य करने की शिक्षा देता है। आप जितनी भी सन्धा करो, हवन करो, वेद पढ़ो, परंतु जब तक आप मानवीय गुण, सत्य, अहिंसा, धैर्य, दया, करुणा, ईमानदारी, निष्पक्षता आदि को जीवन में धारण नहीं करोगे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच, क्रोध व अभिमान का त्याग नहीं करोगे, प्राणि-मात्र से प्यार नहीं करोगे और अष्टांग योग द्वारा समाधि तक नहीं पहुँचोगे, तब तक परम आनंद की अनुभूति होना और मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। हाँ - जीवन को शुद्ध व पवित्र बनाने में संध्या करना, हवन करना व वोद पढ़ना भी सहयोगी है।

दूसरे जो संप्रदाय हैं, उनका कर्म पर ध्यान कम और अपनी पूजा पद्धति पर ध्यान अधिक होता है। इसलिए वे अपने ही संप्रदाय को ही ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का सही मार्ग कहलाते हैं और अन्यों का रास्ता गलत बताते हैं। यही परस्पर की लड़ाई- झगड़े की जड़ है, इसलिए वैदिक धर्म ही सबको अपनाना चाहिए।

मूर्तिपूजा करने से सबसे बड़ा दोष यह है कि मनुष्य अपने अराध्य देव, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, गणेश हो, शंकर हो, काली हो, दुर्गा हो, या अन्य कोई देवी-देवता हो, उसके दर्शन मात्र से ही वह ईश्वर की पूजा को पूर्ण समझ बैठता है और उसके बाद वह दिनभर अच्छे-बुरे सभी कर्म करता रहता है। यानि उसको अपने अराध्य देव के दर्शन मात्र ही ईश्वर की पूजा (उपासना) करने के लिए पर्याप्त है और वह समझता है कि मेरे अराध्य देव ने अब मुझे सभी काम करने की छूट दे दी है।

यह बात केवल हिंदू धर्म में ही नहीं। सभी तथाकथित धर्मों में हैं। हिंदू अपने देवता के दर्शन करने से, मुस्लिम पाँच समय नमाज़ अदा करने से, ईसाई ईसा पर विश्वास लाने से सिक्ख गुरुग्रंथ सुनने से अपने सर्ब पाप धुल गये या नष्ट हो गये समझने से ही आज विशेषकर भारत में पाप या अनाचार इतना बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा प्यारा भारत, जो किसी समय 'विश्व गुरु' था, उसका सम्मान करते-करते आज एक दयनीय स्थिति में आकर खड़ा हो गया है, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी ।

RNI.No.52990/93 Reg. No. HD / 783 / 2012-14 12-05-2013 आर्य जीवन

ఆర్యజీవన్

హింది-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆంధ్రప్రదేశ్, 4 - 2 - 15 మహర్షి దయానంద మార్గము
సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్ - 500 095
ఫోన్ : 040 - 24753827, 66758707, Fax:24557946
సంపాదకులు - విఠల్‌రావు ఆర్య ప్రధాన్ సభ

प्रसिद्ध आर्य संन्यासी तथा प्रमुख समाज सेवी स्वामी अग्निवेश जी ने की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई की माँग

महिला होने तथा कैंसर पीड़ित होने के कारण मानवीय आधार पर दी जाये जमानत

प्रसिद्ध समाज सेवी तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्य संन्यासी स्वामी अग्निवेश जी ने मालेगाँव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से केन्द्रीय जेल में [illegible]

[illegible] स्वास्थ्य के [illegible] को देखकर मानवीय आधार पर मैंने उनसे मुलाकात की है। ज्ञातव्य है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगाँव में हुए बम धमाकों के परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि साध्वी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी किया गया जो अत्यधिक निन्दनीय है। उन्होंने बताया कि वे पहले ही स्तन कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है और पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार से उनके शरीर को अत्यधिक क्षति पहुँची है। उन्होंने माँग की मालेगाँव बम धमाकों में सुनील जोशी हत्याकाण्ड में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह को अविलम्ब जमानत पर रिहा किया जाये।

दिल्ली से शनिवार को ही भोपाल पहुँचे स्वामी अग्निवेश जी ने केन्द्रीय जेल जाकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात के उपरान्त कहा कि उनके साथ जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री सुशील कुमार शिंदे [illegible] मामले की [illegible] पूरी किये जाने की [illegible] अपनी बात [illegible] मंत्रालय के समक्ष भी रखेंगे। स्वामी जी ने बताया कि मुलाकात के दौरान साध्वी ने मुझसे कहा कि वे न्यायालय का पूर्ण सम्मान करती है और जाँच में पूरा सहयोग देना चाहती है और यदि जाँच में वे दोषी पाई जाती है तो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा को भुगतने के लिए तैयार है। स्वामी जी ने केन्द्र तथा महाराष्ट्र सरकार पर जानबूझ कर प्रज्ञा ठाकुर की जमानत में अड़ंगा लगाये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुम्बई उच्च न्यायालय में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत में अनेकों प्रयास किये गये लेकिन राजनैतिक कारणों से उनकी सुनवाई को जानबूझकर खींचा जा रहा है। स्वामी अग्निवेश जी ने माँग की कि महिला होने तथा कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनको जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

संपादक: श्री विठ्ठल राव आर्य प्रधान सभा ने सभा की ओर से
कलांजली प्रेस विठ्ठलवाडी में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया।आर्य प्रतिनिधि सभा आं.प्र.सु.बाज़ार,हैदराबाद